भाग III

संबंधित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है।

(प्रकरण कमांक FP/MP/ROAD/149667/2021)

<table>
<tr><td>1</td><td>स्थल जहां की वनभूमि शामिल की गई है क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हां/ नहीं) यदि हां तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलंग्न करें।</td><td></td><td>जी नही।</td></tr>
<tr><td>2</td><td>क्या वन संरक्षक उप वन संरक्षक के अभिमत से सहमत हैं। यदि नहीं तो उसका कारण दें।</td><td></td><td>सहमत है।</td></tr>
<tr><td>3</td><td>प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में विस्तृत कारणों के साथ अभिमत।</td><td></td><td>महाप्रबंधक म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई बैढ़न सिंगरौली द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत गजराबहरा से सुलियारी कोलयार्ड तक मार्ग निर्माण (चौड़ीकरण) का कार्य किया जाना है। उक्त मार्ग निर्माण (चौड़ीकरण) मे वनमंडल सिंगरौली के वन परिक्षेत्र पूर्व सरई की निम्नानुसार वनभूमि प्रभावित हो रही है।
<table>
<tr><th>जिला का नाम</th><th>वनमंडल का नाम</th><th>परिक्षेत्र का नाम</th><th>कक्ष कमाक</th><th>रकवा</th></tr>
<tr><td rowspan="4">सिंगरौली</td><td rowspan="4">सिंगरौली</td><td rowspan="4">पूर्व सरई</td><td>RF 336</td><td>0.256</td></tr>
<tr><td>RF 337</td><td>1.520</td></tr>
<tr><td>RF 329</td><td>2.280</td></tr>
<tr><td>RF 378</td><td>1.616</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>योगः–</td><td>5.672</td></tr>
</table>
वनमण्डल की प्रचलित कार्यआयोजना अनुसार उपरोक्त प्रस्तावित वनभूमि कक्ष कमांक आर.एफ.–336, 337, 329, 378 हाथी कारीडोर मे सम्मिलित है।

वनमण्डल की कार्यआयोजना मे हाथी कारीडोर के संबंध मे निम्नानुसार प्रावधान है।
(अ) 2.47 (9) कारीडोर मे किसी भी प्रकार का कार्य जिससे कारीडोर की निरंतरता मे व्यवधान उत्पन्न होता हो जैसे स्थायी, भवन निर्माण , डिपो की स्थापना तथा अन्य स्थाई निर्माण कार्य आदि नहीं किये जावेंगे।</td></tr>
</table>

		(ब) 2.47 (10) कारीडोर मे स्थित कक्षों को यथा संभव गैर वानिकी उपयोग हेतु हस्तांतरित नहीं किये जाये । यदि एसा करनो अवश्यंभावी हो तो सर्वप्रथम हाथी कारीडोर की स्थापना की जाये। कार्य आयोजना के उक्त प्रावधान एवं अन्य (1–18) का पालन सुनिश्चित करने की शर्त पर वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल सिंगरौली द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 (2) के प्रावधानों के तहत महाप्रबंधक. म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना कियान्वयन इकाई बैढ़न सिंगरौली को मार्ग निर्माण (चौड़ीकरण) हेतु 5.672 .हेक्टेयर वन भूमि व्यपवर्तन हेतु स्वीकृति दिये जाने की अनुशंसा की गई है। वनमंडलाधिकारी वनमण्डल सिंगरौली द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर इस कार्यालय द्वारा प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत मार्ग निर्माण (चौड़ीकरण) हेतु 5.672 हेक्टेयर वन भूमि महाप्रबंधक. म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना कियान्वयन इकाई बैढ़न सिंगरौली को उपयोग पर देने हेतु व्यपवर्तन की अनुशंसा की जाती है।

तिथि : 28.10. .2022
स्थानः रीवा

28/10/2022

(आनन्द कुमार सिंह)
भा.व.से. 2001
मुख्य वन संरक्षक
रीवा वृत्त रीवा (म.प्र.)